(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक R.5287–II/2016 विरूद्व आदेश दिनांक 01–06–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 803/अपील/2013–14

रामप्रभाव बढई तनय स्व0 श्यामलाल बढई
निवासी ग्राम पडखुरी, कोठार तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

गंगा प्रसाद तनय सुखदे राम ब्रा.
निवासी ग्राम पडखुरी, कोठार तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म0प्र0

.....अनावेदक

श्री अरविंद पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुशील तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 04/02/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 01–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम पडखुरी कोठोर स्थित भूमि कमांक 1176 रकवा 0.20 है0 भूमि से बेदखल करने हेतु संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला सीधी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–11–2011 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट रामपुर नैकिन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22–7–2014 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 01–06–2016 से अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें। अपर आयुक्त के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में सीमांकन उपरांत संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने तकनिकी आधार पर प्रकरण का निराकरण करने में त्रुटि की है। कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। सीमांकन आदेश को आवेदक द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है। सीमांकन पश्चात यदि किसी व्यक्ति का अतिकमण पाया जाता है तो संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनिमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01–6–2016 यथावत रखा जाता है।

4/02/2019.

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर